न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

क्रमांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.
	रामसिंह बनाम मूलसिंह
3 5/16	पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण लोक अदालत/कैम्प कोर्ट के समक्ष योग्य होने से पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में दिनांक 20/6/16 को पेश हो।
20 6/16	आज यह प्रा. कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी प्रार्थी ने प्रा. पत्र पेश किया कि वह अपने वादपत्र में आगामी कार्यवाही नहीं चाहता। वेदड़ा वादपत्र स्वीकार किया जाता है। प्रा. पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली वादी को वेदड़ा किया जाता है। पत्रावली नम्बर सेकम हाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय कैम्प कोर्ट में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर सेकम हाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय अलग

Scanned by CamScanner